न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 122/2018 प्रार्थना पत्र

महेन्द्र सिंह पिता डूंगर सिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी भागल, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. रतनलाल पिता चुनिया धाकड़, आयु वयस्क, निवासी भगवानपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र
धारा 251ए रा0का0अधि0
श्री सरफराज अहमद, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 12.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी और उसके भाईयों की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा भागल तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 16 की आराजी नम्बर 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 कुल किता 14 कुल रकबा 7.1800 हैक्टैयर भूमि स्थित है। यह भूमि ग्राम भागल व ग्राम भगवानपुरा की सीमा पर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व अकेले के कब्जे काश्त की वाके मौजा भगवानपुरा की खाता संख्या 101 की आराजी नं. 77 रकबा 1.8500 हेक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की वाके मौजा भगवानपुरा की खाता संख्या 295 की आराजी नं. 53, 54, 55, 1236, 1244, 1245, 1769/1247 व 1773/1243 कुल किता 8 कुल रकबा 3.0600 हेक्टैयर भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भागल व भगवानपुरा की भूमि के मध्य में स्थित है। विपक्षी की आराजी नं. 55 के पूर्वी मेड पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रार्थी की भागल वाली आराजीयात पर जाने हेतु रास्ता स्थित है जिसका रास्ते के रूप में प्रार्थी व उसके पूर्वज कदीम से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। लगभग 70 वर्षों से इस रास्ते का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में किया जाता रहा है। आगे के खेतों

में जाने के लिए इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। विगत कुछ दिनों से विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी व अन्य ग्रामीणों के उक्त रास्ते को बाधित कर रहा है तथा प्रार्थी अपने खेत पर आवागमन नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी का रास्ता बन्द हो जाने से प्रार्थी अपने खेतों पर काश्त नहीं कर पायेगा, कृषि उपकरण लाने ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा व उपज नहीं ले पायेगा। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 को समझाने बुझाने का प्रयास किया तथा गांव के मौतबिर व्यक्तियों से भी कहा परन्तु विपक्षी किसी सुरत नहीं मान रहा है। प्रार्थी के पास अपने खेतों पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इसलिए मजबुरन प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की वाके मौजा भगवानपुरा की खाता संख्या 295 की आराजी नं. 55 रकबा 0.6500 हेक्टेयर भूमि के पूर्वी मेड पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रार्थी की भागल वाली आराजीयात पर जाने हेतु जो रास्ता स्थित है, उसे राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावे। नियमानुसार यदि प्रार्थी भूमि के बदले भूमि चाहेगा तो भूमि तथा कीमत चाहने पर नियमानुसार कीमत अदा करने हेतु प्रार्थी सहमत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया की ग्राम भागल की खातेदार प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजीयात पर आवागमन हेतु ग्राम भगवानपुरा की आराजी नं. 55 रकबा 0.6500 हेक्टेयर भूमि पर से होकर कदीम से आवागमन करते चले आ रहे हैं जो विपक्षी रतनलाल पिता चुनिया धाकड़ के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ग्राम भागल में प्रार्थी की आराजीयात पर आवागनम हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। रेकार्डेड रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर जाने हेतु 0.1000 हेक्टेयर भूमि का डी.एल.सी. की दर से नियमानुसार विपक्षी को भुगतान करा रास्ता कायम किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम भगवानपुरा की खाता संख्या 295, 101, ग्राम भागल की खाता संख्या 16, नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम बिनोता की खाता संख्या 212 नवीन नक्शा ट्रेस एवं साबिक नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये हैं। ग्राम भागल की खाता संख्या 16 की आराजीयात प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ग्राम भगवानपुरा की खाता संख्या 295 की आराजीयात विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है

जिसकी आराजी संख्या 55 का उपयोग प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप में किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी आराजीयात पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित रास्ते को आराजी नं. 55 में दर्ज किये जाने से रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. दर से दो गुना राशि का चैक विपक्षी के नाम प्रस्तुत करने पर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा भागल तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 16 की आराजी नम्बर 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 कुल किता 14 कुल रकबा 7.1800 हैक्टैयर भूमि पर आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की ग्राम भगवानपुरा की खाता संख्या 295 की आराजी नं. 55 पर प्रस्तावित नक्शे में अंकित अनुसार 0.1000 हेक्टेयर भूमि बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। उक्त चैक का भुगतान सम्बन्धित पटवारी के माध्यम से विपक्षी संख्या 1 को करवाया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 12.06.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 16:21:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: